भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 854
(07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राजस्थान में प्रधान मंत्री आवास योजना

854. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत गांवों में अब तक आबंटित आवासों की राज्य और जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा गांवों में और अधिक मकान आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्यन कर रहा है ताकि मार्च , 2024 तक बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को 2.94 करोड़ मकान पहले ही आवंटित कर दिए गए हैं जिसमें से राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के लिए 2.83 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 02.02.2023 तक 2.15 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। पीएमएवाई -जी के अंतर्गत (02.02.2023 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला /ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़े कार्यक्रम वेबसाइट www.pmayg.nic.in---->आवाससॉफ्ट---->रिपोर्ट---->लक्षित वित्तीय वर्ष के लिए मकानों की प्रगति पर देखा जा सकता है।

अनुबंध

राजस्थान में पीएमएवाई-जी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 854 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा (02.02.2023 की स्थिति के अनुसार)

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के लिए स्वीकृत मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	36,087
2	असम	18,26,601
3	बिहार	36,97,102
4	छत्तीसगढ़	10,97,107
5	गोवा	253
6	गुजरात	5,61,248
7	हरियाणा	28,946
8	हिमाचल प्रदेश	15,451
9	जम्मू और कश्मीर	1,97,945
10	झारखंड	15,86,792
11	केरल	35,143
12	मध्य प्रदेश	37,57,063
13	महाराष्ट्र	14,17,258
14	मणिपुर	41,499
15	मेघालय	67,777
16	मिजोरम	20,418
17	नागालैंड	22,753
18	ओडिशा	26,40,962
19	पंजाब	39,899

20	राजस्थान	17,21,791
21	सिक्किम	1,406
22	तमिलनाडु	7,75,121
23	त्रिपुरा	2,54,785
24	उत्तर प्रदेश	34,40,568
25	उत्तराखंड	46,365
26	पश्चिम बंगाल	45,60,625
27	अण्डमान और निकोबार	1,347
28	दादरा और नगर हवेली, दमन तथा दीव	5,761
29	लक्षद्वीप	53
30	पुदुचेरी*	-
31	आंध्र प्रदेश	2,38,569
32	कर्नाटक	1,63,243
33	तेलंगाना*	-
34	लद्दाख	1,906
	कुल	**2,83,01,844**

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।